न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 14/2017

फूसाराम पुत्र करणाराम जाति जाट निवासी बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्टान्

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री नरसाराम जाखड़ अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 25.02.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक **28.02.2017** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून प्राकृतिक न्याय एवं रूहीदाद मिसल के तथा उसुलों के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2017 निरस्त फरमाई जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अपीलान्ट के नाम से रौही मौजा सुरजनवासी के खेत खसरा नम्बर 24, 37 व 39 कुल किता 3 तादादी 19.4700 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 24 में अपीलान्ट द्वारा मकान बनाया है। अमृतवासी की कांकड़ में उसके द्वारा किसी किस्म का न तो कभी कब्जा था और ना ही अमृतवासी के जोहड़ पायतन में कभी कब्जा किया गया है। उसके विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता के कारण फर्जी रिपोर्ट तैयार कर गलत तरीके से बिना साक्ष्य लिए, बिना पैमाईश कराये महज गलत एवं आधारहीन रिपोर्ट के अधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया है। अपीलान्ट का खेत रौही मौजा सुरजनवासी में है जबकि अतिक्रमण रौही अमृतवासी में बता रहे है। एक गांव की कांकड़ छोड़ कर दूसरे गांव की कांकड़ अतिक्रमण करना

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

कतई संभव नहीं है। केवल मात्र अपीलान्ट को तंग व परेशान करने की नियत से किया है। अपीलान्ट ने जवाब में स्पष्ट अंकित किया था कि उसके द्वारा किसी गैर मुमकिन भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। बल्कि उसके अपनी खातेदारी भूमि पर ही मकान बनाया है व काश्त करवाई है। अदालत मातहत अपने निर्णय से पूर्व साक्ष्य लेते और मौके पर अपीलान्ट की उपस्थित में पैमाईश करवाते तो सही स्थिति उनके समक्ष आती परन्तु अदालत मातहत ने Pree Judics होकर तथा राजनैतिक दबाव में आकर उक्त आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को निवेदन किया था कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है बल्कि जिन लोगों ने कब्जा नहीं किया है उसके विरूद्ध फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार करके कार्यवाही की जा रही है, जिसे रोका जावे। परन्तु अदालत मातहत ने इस ओर कतई गौर नहीं किया और जो वास्तविक रूप से अतिक्रमी थे उन्हें बचाते हुए जो अतिक्रमी नहीं थे उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिन–जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया है उनके विरूद्ध नये सिरे से कार्यवाही की जावे ताकि दूध का दूध एवं पानी का पानी हो सके तभी लोगों में न्याय के प्रति आस्था बढ़ेगी । अपीलान्ट ने अपने वकील को सारे दस्तावेज भी दे दिये तथा जवाब भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था कि जब भी अपीलान्ट के बयान कराने हो अथवा अन्य किसी प्रकार का साक्ष्य दिलाना हो तो उसे सूचना दे देना तब वकील साहन ने कहां कि जब भी आपकी आवश्यक होगी वे सूचना दे देगा। लेकिन वकील साहब के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें नहीं मिल सकी दिनांक 12.5.2017 को अपीलान्ट अपने वकील साहब के पास गया तो उन्होनें कहा कि दिनांक 15.5.2017 को आने को कहा तब उसे बताया कि उक्त प्रकरण तुन्हारे खिलाफ दिनांक 28.2.2017 को निर्णय हो गया है तो अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास गया और जमाबंदी एवं नक्शे की नकल दिनांक 15.5.17 को ली तथा अदालत मातहत के द्वारा पारित निर्णय की नकल वकील साहब ने दिला दी जिसे लेकर वह अपने गांव चला गया और रूपयों पैसो की व्यवस्था कर बीकानेर आकर वकील नियुक्त कर बिना किसी प्रकार की देरी किए अपील प्रस्तुत कर दी। अपीलान्ट ने जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है। अतः अपील अन्दर मियाद मियाद शुमार करते हुवे अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2017 बदालत तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का बिग्गा बास रामसरा द्वारा धारा 91 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि में से 1.00 हैक्टयर भूमि पर संवत 2073 में नाजायज कब्जा कर मोठ बाजरी काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल को नोटिस भेजा गया। गैर सायल को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। गैर सायल का जवाब है कि उक्त भूमि उसकी पैतृक खातेदारी भूमि है जिस पर वह काबिज चला आ रहा है, अतिक्रमी नहीं है। नोटिस कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप फरमावें। गैर सायल द्वारा न्याय संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने व साक्ष्य साबूत आदि के अभाव में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन गौचर दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अपीलाधीन प्रकरण की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने के कारण यह भूमि आवंटन/नियमन के लिए प्रतिबंधित किस्म की भूमि है। अपीलाधीन प्रकरण की भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा दिये गये निर्णय से प्रभावित भूमि होने के कारण यह भूमि आवंटन/नियमन के लिये प्रतिबंधित किस्म की भूमि है। अपील मात्र राजकीय कीमती सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से की गई है। अपीलान्ट गैर मुमकीन गौचर भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे विलम्ब के संबंध में नरम रूख अपनाते हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाना उचित समझते हुवे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन गौचर पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, के विरूद्ध अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

गई है। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन गौचर दर्ज है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि गैर मुमकीन गौचर दर्ज भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा मानते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मामले के अद्योपरान्त अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा गैर मुमकीन गौचर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे प्रकरणों में गैर मुमकीन गौचर भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को गैर कानूनी करार दिया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट गैर मुमकीन गौचर भूमि पर काबिज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है ।

6. निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर